केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन: 23353503 फैक्स: 23753923

याचिका सं. 58/टीएल/2024 दिनांक: 08.04.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, बी–9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016 द्वारा "विनियमित टैरिफ तंत्र" (आरटीएम) मोड (इसके बाद 'पारेषण योजना/परियोजना' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से फेस–IV (7जीडब्ल्यू): भाग ई3 के अधीन गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में विभव नवीकरणीय ऊर्जा जोन से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, और 15 के अधीन आवेदन किया गया है। जिस परियोजना के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति मांगी गई है, उसका कार्य–क्षेत्र निम्नानुसार है:

क्र सं.	पारेषण योजना का कार्य–क्षेत्र	मद विवरण	कार्यान्वयन की समय–सीमा
1.	बस सेक्शन–I पर 1x1500 एमवीए, 765/400 केवी आईसीटी (7वां) से केपीएस3 (जीआईएस) पर रूपांतरण क्षमता का संवर्धन	• 1500 एमवीए, 765/400 केवी आईसीटी–1 नंबर • 765 केवी बे–बस सेक्शन–I पर 2 नंबर (डाय समापन के लिए 1 नंबर बे सहित) • 400 केवी बे–बस सेक्शन–I पर 2 नंबर (डाय समापन के लिए 1 नंबर बे सहित)	आबंटन की तारीख से 24 मास, अर्थात् 6.7.2025 तक
	कुल अनुमानित लागत:		रु. 216 करोड़

नोट:

1) टीएसपी, एक–और–आधा ब्रेकर योजना में डायमीटर (जीआईएस) के समापन के लिए आवश्यक केपीएस3 (जीआईएस) के 765 केवी एवं 400 केवी दोनों स्तरों पर 2 प्रमुख बे एवं 1 टाई बे वाले एक संपूर्ण डायमीटर का कार्यान्वयन करेगा।

2) इसके अतिरिक्त केपीएस3 का टीएसपी, उपर्युक्त संवर्धन कार्य को पूरा करने के लिए स्थान प्रदान करेगा

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 24.1.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 58/टीएल/2024 में दिनांक 8.4.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.powergrid/.in/subsidiaries** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 19.4.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक 23.4.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव